



Neutral Citation No. - 2026:AHC:166529

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बीएनएसएस की धारा 528 के तहत आवेदन संख्या - 46731 वर्ष 2025

जितेन्द्र उर्फ जितेन्दर

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : पीयूष पटेल, प्रदीप कुमार

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 81

माननीय न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह

1. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. वर्तमान अपील संज्ञान आदेश/समन आदेश दिनांक 27-08-2020 तथा मुकदमा अपराध संख्या 84 सन् 2020, धारा 419, 420, 406 भा.दं.सं., थाना नौतनवा, जनपद महाराजगंज

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



से उत्पन्न वाद संख्या 3094 सन् 2020 की संपूर्ण कार्यवाही को निरस्त करने हेतु दायर की गई है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि दिनांक 27-08-2020 के आदेश द्वारा आवेदक को धारा 419, 420, 406 भा.दं.सं. के अंतर्गत समन किया गया है। आगे प्रस्तुत किया गया कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **दिल्ली रेस क्लब (1940) लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, (2024) 10 एससीसी 690** में प्रतिपादित विधि के दृष्टिगत, समान आरोपों के आधार पर धारा 406 और 420 भा.दं.सं. के अपराध एक साथ नहीं हो सकते। अतः यह तर्क दिया गया कि आक्षेपित कार्यवाही अपास्त किए जाने योग्य है।
4. इसके विपरीत, प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान ए.जी.ए. ने अपील में की गई प्रार्थना का विरोध किया; तथापि, वे आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा भरोसा किए गए विधि के स्थापित सिद्धांत पर विवाद नहीं कर सके।
5. वर्तमान मामले में विवाद का संबंध समान आरोपों के आधार पर धारा 406 और 420 भा.दं.सं. के अपराधों के सह-अस्तित्व से है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **दिल्ली रेस क्लब (1940) लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य (उपर्युक्त)** में विधिक स्थिति को स्पष्ट किया है। निर्णय का प्रासंगिक अंश नीचे पुनरुत्पादित किया जा रहा है:

“38. हमारे विचार में, शिकायत को साधारण रूप से पढ़ने पर उपर्युक्त उल्लिखित किसी भी तत्व का पता नहीं चलता है। हम केवल यह कहना चाहेंगे कि पुलिस तथा अधीनस्थ न्यायालयों के मन में विधि के संबंध में व्याप्त एक गंभीर भ्रांति को स्पष्ट करने के लिए, यदि शिकायतकर्ता का यह मामला है कि अभियुक्त द्वारा धारा 405



भा.दं.सं. में परिभाषित और धारा 406 भा.दं.सं. के अंतर्गत दंडनीय आपराधिक न्यासभंग का अपराध किया गया है, तो उसी सांस में यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त ने धारा 415 भा.दं.सं. में परिभाषित और स्पष्ट किए गए तथा धारा 420 भा.दं.सं. के अंतर्गत दंडनीय छल के अपराध को भी किया है।

41. मात्र संविदा-भंग और आपराधिक न्यासभंग तथा छल के अपराध के बीच अंतर सूक्ष्म है। छल के मामले में, प्रलोभन दिए जाने के समय अभियुक्त के आशय पर विचार किया जाना चाहिए, जिसका निर्धारण बाद के आचरण से किया जा सकता है, किंतु इसके लिए बाद का आचरण ही एकमात्र कसौटी नहीं है। मात्र संविदा-भंग से छल के लिए आपराधिक अभियोजन उत्पन्न नहीं हो सकता, जब तक कि लेन-देन के आरंभ से ही, अर्थात् उस समय से जब अपराध किया जाना कहा गया है, कपटपूर्ण या बेईमानीपूर्ण आशय प्रदर्शित न हो। अतः यही आशय अपराध का सार है।

42. छल और आपराधिक न्यासभंग के अपराध के तत्व भिन्न और पृथक हैं तथा सामान्यतः तथ्यों का वही समूह दोनों अपराधों को एक साथ गठित नहीं कर सकता।

43. आपराधिक न्यासभंग और छल के बीच अंतर है। छल के लिए मिथ्या या भ्रामक अभ्यावेदन किए जाने के समय, अर्थात् आरंभ से ही, आपराधिक आशय आवश्यक है। आपराधिक न्यासभंग में केवल न्यस्त किए जाने का प्रमाण पर्याप्त है। इस प्रकार, आपराधिक न्यासभंग के मामले में अपराधी को संपत्ति विधिपूर्वक न्यस्त की जाती है और वह बेईमानी से उसका दुरुपयोग करता है। जबकि छल



के मामले में अपराधी किसी व्यक्ति को धोखा देकर कपटपूर्वक या बेईमानी से उसे कोई संपत्ति देने के लिए प्रेरित करता है। ऐसी स्थिति में दोनों अपराध एक साथ सह-अस्तित्व में नहीं रह सकते।”

2. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने, अभिलेख का परिशीलन करने तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि पर विचार करने के पश्चात्, यह न्यायालय पाता है कि सामान्यतः समान तथ्यों के आधार पर धारा 406 और 420 भा.दं.सं. को एक साथ लागू नहीं किया जा सकता। अतः आक्षेपित समन आदेश विधि की दृष्टि से स्थिर नहीं है।
3. उपर्युक्त के दृष्टिगत, संज्ञान आदेश/समन आदेश दिनांक 27-08-2020 तथा मुकदमा अपराध संख्या 84 सन् 2020, धारा 419, 420, 406 भा.दं.सं., थाना नौतनवा, जनपद महाराजगंज से उत्पन्न वाद संख्या 3094 सन् 2020 की संपूर्ण कार्यवाही एतद्वारा अपास्त की जाती है।
4. मामले को संबंधित न्यायालय को इस निर्देश के साथ वापस भेजा जाता है कि यदि आवश्यक हो, तो माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिल्ली रेस क्लब (उपर्युक्त) में प्रतिपादित विधि के आलोक में समन किए जाने के प्रश्न पर नया आदेश पारित करे।
5. तदनुसार, वर्तमान आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है।

(न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह)

10 अगस्त, 2026

पी.के.एस.